

—::— छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

— प्रधान-कार्यालय, उद्योग भवन, तृतीय तल, रिंग रोड नं०-1, रायपुर (छ०ग०) —

क्रमांक/छगवेका/मु०/स्था०/2017-18/ 14839

रायपुर, दिनांक:- 13-10-17

—:: आदेश ::—

छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मंडल की 38वीं बैठक दिनांक 25.09.17 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्र० 38.18 में लिये गये निर्णय अनुसार- निगम में कार्यरत दैनिक वेतन श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम 2015, जारी अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2016-17 में बोनस की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वर्ष 2016-17 में निगम में कार्यरत दैनिक वेतन (अनुबंधित/व्हाउचर आधार पर) को उक्त प्रावधानों के अंतर्गत बोनस की न्यूनतम राशि 8.33 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विद्यमान बोनस अधिनियम 2015, के अंतर्गत जिन श्रमिकों का वेतन रुपये 21,000/- से अधिक नहीं हो, उन्हें बोनस की पात्रता होगी, परन्तु बोनस की गणना रुपये 7000/- अधिकतम या वास्तविक वेतन (जो भी कम हो) प्रतिमाह मानकर की जावेगी।

NKS
प्रबंध संचालक

क्रमांक/छगवेका/मु०/स्था०/2017-18/ 14839

रायपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13-10-17

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय-रायपुर।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय-रायपुर।
3. सचिव एवं महाप्रबंधक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय-रायपुर।
4. प्रबंधक (कार्मिक/तकनीकी/वाणिज्य/लेखा/कॉर्पोरेट), कार्यपालन अभियंता, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय-रायपुर।
5. वेतन शाखा/भविष्य निधि/ग्रेज्यूटी शाखा, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय-रायपुर।
6. समस्त शाखा प्रबंधक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन छत्तीसगढ़।
7. प्रोग्रामर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि इस आदेश को तत्काल निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. मास्टर नस्ती हेतु।

NKS
प्रबंध संचालक